मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 50

प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		4000.00	8.70	4008.70	3750.00	4.60	3754.60	4900.00	4.85	4904.85
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**4000.00**	**8.70**	**4008.70**	**3750.00**	**4.60**	**3754.60**	**4900.00**	**4.85**	**4904.85**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
सामान्य शिक्षा										
प्राथमिक शिक्षा										
2. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	2202	0.40	...	0.40	0.05	...	0.05	...	...	...
	2251	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	0.21	...	0.21
	3601	516.80	...	516.80	472.15	...	472.15	58.25	...	58.25
	3602	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.04	...	0.04
	जोड़	*520.00*	*...*	*520.00*	*475.00*	*...*	*475.00*	*58.50*	*...*	*58.50*
3. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2202	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
	2251	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	3601	186.50	...	186.50	149.50	...	149.50	152.80	...	152.80
	3602	8.00	...	8.00	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00
	जोड़	*220.00*	*...*	*220.00*	*180.00*	*...*	*180.00*	*186.30*	*...*	*186.30*
4. अनौपचारिक शिक्षा/शिक्षा गारंटी स्कीम	2202	364.00	...	364.00	99.00	...	99.00	1.80	...	1.80
और वैकल्पिक प्रवर्तन शिक्षा	2251	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00	...	...	...
	3601	30.00	...	30.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*399.00*	*...*	*399.00*	*100.00*	*...*	*100.00*	*1.80*	*...*	*1.80*
5. राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना	2202	30.00	...	30.00	10.00	...	10.00	40.00	...	40.00
6. महिला समाख्या	2202	10.90	...	10.90	8.90	...	8.90	19.85	...	19.85
	2251	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.15	...	0.15
	Total	*11.00*	*...*	*11.00*	*9.00*	*...*	*9.00*	*20.00*	*...*	*20.00*
7. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	4.00	2.00	6.00	4.00	2.30	6.30	4.05	2.40	6.45
8. लोक जुंबिश	2202	59.00	...	59.00	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00
9. जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (ईएपी)	2202	1098.00	...	1098.00	1198.00	...	1198.00	1328.00	...	1328.00
	2251	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*1100.00*	*...*	*1100.00*	*1200.00*	*...*	*1200.00*	*1330.00*	*...*	*1330.00*
10. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में शिक्षा विकास	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
11. प्राथमिक शिक्षा (एमडीएम) को पोषाहार सहायता	2202	930.00	...	930.00	1031.24	...	1031.24	1057.50	...	1057.50
12. सर्व शिक्षा अभियान	2202	5.50	...	5.50	0.60	...	0.60	1400.35	...	1400.35
	2251	6.56	...	6.56	1.10	...	1.10	6.65	...	6.65
	3601	482.94	...	482.94	497.80	...	497.80	100.00	...	100.00
	3602	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50	5.00	...	5.00
	जोड़	*500.00*	*...*	*500.00*	*500.00*	*...*	*500.00*	*1512.00*	*...*	*1512.00*
13. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	2202	6.00	...	6.00	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
14. राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम	2202	10.00	...	10.00	0.01	...	0.01	...	...	...
15. प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार-यू.एन. संयुक्त कार्यक्रम	2202	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
16. कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	3601	...	...	...	...	...	...	6.65	...	6.65
	3602	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*7.65*	*...*	*7.65*
जोड़ प्रांरभिक शिक्षा		**3800.00**	**2.00**	**3802.00**	**3574.75**	**2.30**	**3577.05**	**4302.30**	**2.40**	**4304.70**
प्रौढ़ शिक्षा										
17. स्वयंसेवी संगठन	2202	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	18.00	...	18.00
18. नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा	2202	107.00	...	107.00	93.81	...	93.81	130.20	...	130.20
	3601	1.50	...	1.50	1.19	...	1.19	...	...	...
	जोड़	*108.50*	*...*	*108.50*	*95.00*	*...*	*95.00*	*130.20*	*...*	*130.20*
19. निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना	2202	27.00	...	27.00	20.00	...	20.00	22.00	...	22.00
20. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2202	19.00	1.94	20.94	15.00	1.79	16.79	12.75	1.90	14.65
21. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2202	0.80	0.16	0.96	0.80	0.16	0.96	0.80	0.20	1.00
	2251	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20
	जोड़	*2.00*	*0.16*	*2.16*	*2.00*	*0.16*	*2.16*	*2.00*	*0.20*	*2.20*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
22. श्रमिक विद्यापीठ	2202	25.00	4.00	29.00	25.00	...	25.00	22.50	...	22.50
(जन शिक्षण संस्थान)	3601	...	0.25	0.25	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*25.00*	*4.25*	*29.25*	*25.00*	*...*	*25.00*	*22.50*	*...*	*22.50*
23. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	2202	1.22	...	1.22	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
24. प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा	2202	2.24	...	2.24	2.24	...	2.24	1.25	...	1.25
25. अन्य कार्यक्रम	2202	0.04	0.35	0.39	0.01	0.35	0.36	...	0.35	0.35
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		**200.00**	**6.70**	**206.70**	**175.25**	**2.30**	**177.55**	**209.70**	**2.45**	**212.15**
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	388.00	...	388.00
कुल जोड़		***4000.00***	***8.70***	***4008.70***	***3750.00***	***4.60***	***3754.60***	***4900.00***	***4.85***	***4904.85***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	3999.00	...	3999.00	3749.00	...	3749.00	4512.00	...	4512.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	388.00	...	388.00
जोड़-केन्द्रीय योजना		**4000.00**	**...**	**4000.00**	**3750.00**	**...**	**3750.00**	**4900.00**	**...**	**4900.00**

1. **सचिवालय** : इसमें सचिवालय संबंधी व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड** : आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में चरण बद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएं अर्थात् 2 अध्यापक और अध्यापन शिक्षण उपस्कर (टी.एल.ई.), उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। उन प्राथमिक स्कूलों में जहां संस्था 100 से अधिक है तीसरा अध्यापक/तीसरा कमरा उपलब्ध कराने तथा 1993-94 से उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल करके योजना का विस्तार किया गया है। योजना में, उस योजना अवधि जिसके दौरान नियुक्ति की गई है अध्यापन शिक्षण उपस्कर तथा अध्यापकों के वेतनों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। स्कूल भवनों का निर्माण मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है तथापि आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय सहभागिता आधार पर प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए निधियां जारी करता है।

वर्ष 1987-88 से वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान, सभी लक्षित प्राथमिक विद्यालयों (5,22,902) और एकल अध्यापक विद्यालयों को दो अध्यापक विद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए उन्हें 149146 पदों की स्वीकृति दी गई है। 1,38,009 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अध्यापन शिक्षण उपस्करों के लिए निधियां मंजूर की गई हैं 83,045 प्राथमिक विद्यालयों को तीसरे अध्यापक और 77,610 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अतिरिक्त अध्यापकों की मंजूरी दी गई है।

3. **अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम** : जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) तथा कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए)-1986 में परिकल्पित था, अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1987 में शुरू की गई थी जो व्यवहार्य संस्थागत आधारिक संरचना, आधारोन्मुख प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन आधार का सृजन तथा देश में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की जानकारी, सक्षमता और शैक्षणीक कौशल का निरन्तर उन्नयन करेगी। योजना के पांच संघटक हैं-

(i) सभी जिलों में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईईटी) की स्थापना करना;

(ii) अध्यापक शिक्षा के कालेजों (सीटीई) को सुदृढ़ करना और उनमें से कुछ का शिक्षा में अग्रवर्ती अध्ययन संस्थाओं (आई ए एसई) के रूप में विकास करना;

(iii) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सुदृढ़ करना;

(iv) स्कूल अध्यापकों के लिए विशेषोन्मुख कार्यक्रम तथा अध्यापक प्रशिक्षण में दूरवर्ती प्रणाली शुरू करना; और

(v) विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना तथा इसे सुदृढ़ करना।

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के तहत अब तक 461 जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थाओं, 85 अध्यापक शिक्षा के कालेजों और 37 शिक्षा में अग्रवर्ती अध्ययन संस्थाओं को मंजूरी दी गई है। 20 राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। डीआईईटी/सीटीआई/आईएएसई में निर्माण के प्रयोजनार्थ, उपस्करों की खरीद के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं को वेतन और भत्तों, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च को वहन करने, आपात निधियों आदि के लिए आवर्ती अनुदान भी प्रदान किए जाते है। एससीईआरटी के माध्यम से एनसीईआरटी द्वारा आयोजित किए जा रहे एसओपीटी के तहत 14.23 लाख अध्यापकों को शामिल किया गया है।

4. **शिक्षा गारण्टी स्कीम और वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा** : 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के उन बच्चों को जो विद्यालय में पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1979-80 में शुरू की गई। यह एक आयोजनागत स्कीम है जो आयोजना से आयोजना जारी रही और स्वयंसेवी एजेंसियों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की गई। प्रारम्भ में, यह स्कीम शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए 10 राज्यों जैसे कि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मु व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की गई। बाद में, यह शहरी गन्दी बस्तियों, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय और मरूभूमि क्षेत्रों में तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कामकाजी बच्चों की परियोजनाओं तक विस्तारित की गई। इस समय, यह कार्यक्रम 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।

प्रत्येक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में लगभग 25 शिक्षार्थियों का पोषण किया जाता है जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी की लागत प्राथमिक स्तर पर 375 रुपए प्रति वर्ष तथा उच्च स्तर पर 580 रुपए प्रतिवर्ष है। केन्द्र और सरकार के बीच व्यय को सह-शिक्षा के मामले में 60:40 के अनुपात और केवल कन्या केन्द्रों के मामले में 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। लेकिन स्वयंसेवी एजेंसियां समग्र लागत सीमा के अन्तर्गत 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त करती हैं।

अन्यों के साथ-साथ मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थाई समिति, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) आदि द्वारा अनौपचारिक शिक्षा स्कीम का मूल्यांकन किया गया था। काफी कम निवेश, समुदाय की बहुत कम रूचि, धनराशियां जारी करने की समस्याएं आदि के रूप में उल्लिखित विस्तृत कमियों को देखते हुए अनौपचारिक शिक्षा स्कीम को अब संशोधित करके शिक्षा

गारण्टी स्कीम और वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा (ईजीएसऔर एआईई) का नाम दिया गया है। संशोधित स्कीम 1.4.2001 से पूरी तरह से प्रचालित कर दी गई है।

ईजीएस और एआईई सर्वशिक्षा अभियान नामक प्राथमिक शिक्षा के विश्वव्यापीकरण के समूचे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। संशोधित स्कीम की तीन मुख्य श्रेणियां हैं, अर्थात्

क) विद्यालय रहित स्थानों पर एक कि. मी. के घेरे के अन्तर्गत विद्यालयों की स्थापना।

ख) विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा को सेतु (ब्रिज) पाठ्यक्रमों, विद्यालयों शिवरों में वापसी आदि के माध्यम से सरल बनाने के लिए मध्यस्थता।

ग) विशेष और हठी किस्म के बच्चों के लिए जिन्हें सहजता से शिक्षा नहीं दी जा सकती, नीतियां।

प्रति शिक्षार्थी लागत को प्राथमिक स्तर के मामले में 375 रुपए प्रतिवर्ष की वर्तमान लागत को बढ़ाकर 845 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च प्राथमिक स्तर के मामले में 580 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय मौजूदा 200 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह तक तथा पर्यवेक्षकों के लिए 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। ईजीएल और आई ई के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने (समग्र लागत सीमा के अन्तर्गत) तथा उनकी मानीटरिंग करने की शक्तियां राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अभिज्ञात राज्य स्तर की समितियों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारें व्यय का वहन 75:25 के एक समान अनुपात में करेंगे। लेकिन स्वयंसेवी एजेंसियों को 100 प्रतिशत (समग्र लागत सीमा के अन्तर्गत) सहायता दी जाएगी। केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता की अनुमोदित पद्धति के अनुसार समय-समय पर राज्य स्तर की समितियों को एकमुश्त अनुदान जारी करेगी।

5. राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना - इस परियोजना का उद्देश्य बालिकाओं पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए राजस्थान के दूरस्थ और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गांवों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक और गुणवत्ता सुधार है। इस परियोजना का कार्यान्वयन वर्ष 1987 से स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास निगम एजेंसी (सिडा) की सहायता से किया गया है। परियोजना का चरण-I 30.6.1994 तक था। सिडा और राजस्थान सरकार (जीओआर) ने क्रमशः 90:10 के अनुपात में परियोजना लागत में हिस्सेदारी की। परियोजना का दूसरा चरण 30.06.1998 को समाप्त हुआ। सिडा और राजस्थान सरकार के बीच लागत हिस्सेदारी को शिक्षा कर्मी परियोजना के चरण-II के दौरान 50:50 में संशोधित किया गया था। भारत सरकार (जीओआई) अपने केन्द्रीय आयोजना बजट में सिडा के हिस्से के संबंध में प्रावधान कर रही है, जिसकी प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से सिडा द्वारा की गई।

यू.के. का अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) सिडा की वर्तमान पद्धति के अनुसार राजस्थान सरकार तथा डीएफआईडी के बीच 50:50 के लागत हिस्सेदारी अनुपात पर परियोजना के चरण-III (1999-2003) को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। शिक्षा कर्मी परियोजना के चरण-III (1999-2003) को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

6. **महिला समाख्या कार्यक्रम** : महिला समाख्या कार्यक्रम (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) शत-प्रतिशत डच सहायता प्राप्त परियोजना है, जो 1989 में शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम इस समय उत्तर-प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उत्तरांचल और झारखंड जैसे 10 राज्यों के 60 जिलों के 9000 गांवों में कार्यान्वित किया गया है। शिक्षा के लिए महिला को समर्थ बनाने में महिला समाख्या नीति की कारगरता के परिणामस्वरूप इसे अन्य बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं द्वारा अपनाया जा रहा है। बिहार के 11 जिलों और मध्य प्रदेश तथा असम, प्रत्येक में 5-5 जिलों में इस कार्यक्रम को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) का समर्थन प्राप्त है।

महिला समाख्या ग्रास-रूट स्तर पर महिलाओं के सामर्थ्य को मजबूती प्रदान करने में समर्थ रहा है। इस कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इसने देवदासी, योगिनी व्यवस्था आदि को रोकने तथा इनके पुनर्वास जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में, महिला समाख्या अनौपचारिक शिक्षा केन्दों, प्रारम्भिक बाल्यावस्था, कामकाजी ग्रामीण महिलाओं के लिए स्कूल पूर्व-एवं-शिशु सदन सुविधाओं, गहन गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने तथा कौशल विकास के लिए किशोर बालिकाओं और अशिक्षित महिलाओं के लिए महिला शिक्षण केन्द्रों को कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम निम्नलिखित मुद्दों पर भी ध्यान दे रहा है:-

- दिन-प्रतिदिन की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना,
- नागरिक सुविधाओं में सुधार
- स्वास्थ्य,
- बच्चों विशेष रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करना,
- महिलाओं के साथ हिंसा, बाल विवाह और दहेज जैसे सामाजिक मुद्दे न्यूनतम मजदूरी आदि का भुगतान,
- विधिक साक्षरता तथा पचांचतों आदि के माध्यम से महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए समर्थ बनाना।

सरकार ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 35.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यक्रम को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। महिला समाख्या कार्यक्रम का डच द्वारा वित्तपोषण 31 दिसम्बर, 2002 से समाप्त हो जाएगा। लेकिन डच सरकार ने दसवीं योजना में भी इस कार्यक्रम के एक हिस्से का वित्त पोषण करने के लिए अपनी सहयोगशीलता दर्शाई है। महिला समाख्या कार्यक्रम के वित्त पोषण के अन्य साधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है।

7. **राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली** : भूतपूर्व बाल भवन सोसायटी, इंडिया, राष्ट्रीय बाल भवन सोसायटी की स्थापना पं0 जवाहर लाल नेहरू की पहल पर एक पंजीकृत समिति के रूप में भारत सरकार द्वारा 1955 में की गयी थी । यह इस विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और शारीरिक कार्यों के जरिए बच्चों के चहुँमुखी विकास के अवसर प्रदान करना, सभी वर्गों और समुदायों के बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का संवर्धन करना, उनमें ऐसी भावना जागृत करना ताकि वे वैज्ञानिक सूझबूझ से आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व का विकास कर सकें और इसे आंदोलन के रूप में बढ़ावा दे सकें।

8. **लोक जुम्बिश** : लोगों की एकजुटता और उनकी भागीदारी के जरिए वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजस्थान में स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथोरिटी (एसआईडीए) के सहयोग से एक नई परियोजना "लोक जुम्बिश" शुरू की गई थी।

परियोजना का पहला चरण जून 1992 से जून 1994 के दौरान एसआईडीए, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 3:2:1 के अनुपात में वहन की गई 18 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर कार्यान्वित किया गया था।

दूसरे चरण की अवधि को जुलाई, 1995 से बढ़ाकर जून, 1999 कर दिया गया था तथा इसे पुनः दिसम्बर, 1999 तक बढ़ाया गया था। परियोजना के तीसरे चरण को अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीपीआईडी) यू.के. की सहायता से शुरू किया गया है जो जून 2004 तक है और इसकी कुल परियोजना लागत 400 करोड़ रुपए है।

प्राथमिक शिक्षा के कई घटकों जैसे कि अध्यापकों का प्रशिक्षण, शिक्षा के न्यूनतम स्तर, नए विद्यालय खोलना, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आदि, में परियोजना हस्तक्षेप किए गए। इसने निर्माण कार्य भी शुरू किए हैं जैसे कि विद्यालयों की योजना बनाना, नए विद्यालय खोलना और प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन करना। लोक जुम्बिश की कुछ अन्य मुख्य उपलब्धियां यह रही हैं। विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों को समाविष्ट करते हुए प्रवर्तक प्रबंध तंत्रों का गठन और शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा स्थानीय समुदायों और स्वयं सेवी क्षेत्र के साथ भागीदारी निर्माण, समुदाय केन्द्रित विद्यालय भवन कार्यक्रम के लिए गहन सामुदायिक और विद्यालयों की योजना से संबंधित कार्रवाई तथा नया डिजाइन तैयार करना।

9. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम** : कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा विकास के विशुद्ध दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यनीति के परिचालन का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में आयोजना

के लिए प्रतिभागिता प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा प्रबन्धन पर स्पष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में सुधारों को पुनःसक्रियकरने का प्रयास किया गया है जिसका उद्देश्य क्षमता तथा अवरोधन में सुधार करना, शिक्षा से वंचित रहने वालों में कमी करना तथा ज्ञान क्षमता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना भी है तथा ऐसी कार्य प्रणालियों को विकसित करना भी है जो लागू करने तथा जारी रखने योग्य हैं। कार्यक्रम में इस समय 18 राज्यों, अर्थात्, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उतरांचल, बिहार, झारखण्ड और राजस्थान के 219 जिले शामिल हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के तहत 21,000 नए प्राथमिक विद्यालय और 67,000 वैकल्पिक विद्यालय खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त, डीपीईपी जिले में 37000 विद्यालय भवनों, 36000 अतिरिक्त कक्षाओं, 12,000 संसाधन केन्द्रों, 11,000 मरम्मत कार्य, 34,000 प्रसाधन कक्षों और 15,000 पेय जल सुविधाओं का कार्य पूरा हो चुका है अथवा लगभग समाप्ति पर है। कार्यक्रम की पुनरीक्षा और मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप नामाकंन में उल्लेखनीय वृद्धि, शिक्षा प्राप्ति में सुधार, अधिवांछित समुदायों के शामिल होने के साथ ही पुनरावृद्धि दरों/शिक्षा छोड़ देने वालों में कमी, कक्षा प्रक्रियाओं आदि में सुधार हुआ है।

10. **पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम का शैक्षणिक विकास**-इसमें पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के शैक्षणिक विकास के लिए प्रावधान किया गया है।

11. **प्राथमिक शिक्षा हेतु पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीईपी)** : 15 अगस्त, 1995 से देश में पहली बार प्राथमिक शिक्षा हेतु पौषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देना तथा साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषाहार पर बल देना है।

कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसे निकायों/प्राधिकरणों, जिनसे इस उद्देश्य के लिए सांस्थानिक व्यवस्थाओं का विकास करने की आशा की गई है, के माध्यम से 100 ग्राम गेहूं या चावल के बराबर कैलोरीयुक्त पौष्टिक भोजन/तैयार भोजन का प्रावधान करना है। अन्तरिम अवधि में, प्राथमिक कक्षाओं में, उन बच्चों के लिए जिनकी पिछले माह में न्यूनतम हाजिरी 80 प्रतिशत हो, 3 कि. ग्राम प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण किया जाए।

देश में प्राथमिक कक्षाओं (I-V) में लगभग 10 करोड़ बच्चों को शामिल करने के लिए 1995-96 से शुरू करके 1997-98 तक कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है:-

(i) कार्यान्वयन एजेन्सियों को निशुल्क लागत पर खाद्यान्न प्रावधान जिसकी आर्थिक लागत (1.11.2000 से बीपीएल दरों पर) की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को की जाती है।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों/गावों को खाद्यान्न की ढुलाई वाली एजेन्सियों को परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति।

देश के सभी सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकार से सहायता-प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिक कक्षाओं (पहली से पांचवीं) में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को 2001-2002 के दौरान भी शामिल किया जाता रहेगा जिसके लिए खाद्यानों का आवंटन राज्य से प्राप्त नामांकन के आंकड़ों के आधार पर तथा वित्तीय वर्ष की 10वीं योजना के निर्माण संबधी कार्यकारी दल ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो में जहां खाद्यान्न संवितरित किए जा रहे हैं, पका हुआ भोजन/खाने के लिए तैयार भोजन के प्रावधान पर दबाव को सुनिश्चित करने के लिए योजना में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है।

12. **सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)** : सर्व शिक्षा अभियान योजना नवम्बर, 2000 में आरंभ हुई थी। यह होलिस्टक एवं अभिमुख प्रस्ताव सहित मिशन प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। राज्यों से परामर्श तथा भागीदारी करके इस नए ढांचे के तहत केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी में प्राथमिक शिक्षा के सभी वर्तमान कार्यक्रमों को निगमित करने का प्रयास है। सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

(i) विद्यालय/ईजीएस ब्रिज पाठ्यक्रम के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे वर्ष 2003 तक पाठयक्रम पूरा कर लें।

(ii) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरा कर लें।

(iii) 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूरी कर लें।

13. **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद** : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्थापना अगस्त, 1995 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। एन सी टी ई अधिनियम में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था के योजनागत और समन्वित विकास व देश में अध्यापक शिक्षा में मानदण्डों और मानकों के विनियमन व उचित अनुरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने का उपबन्ध है। एन सी टी ई द्वारा पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार वित्तपोषित है।

14. **राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम** : "शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नीतिं के निर्माण की प्रक्रिया इस समय पूरी होने की अग्रिम अवस्था में है। इस नीति के माध्यम से, लड़कियों की शिक्षा के संवर्धन के लिए उनकी अवधारणाओं हेतु पहुंच तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सुविधाओं का विकास करना है तथा लड़कियों की शिक्षा की प्रांसगिकता और गुणवत्ता पर भी जोर देना है। उनके शैक्षिक स्तर का ऐसा संवर्धन उनकी सामर्थ्यता को बढ़ाएगा। इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के ढांचे के भीतर कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

15. **संयुक्त (भारत सरकार-यू.एन) कार्यक्रम**: जनशाला (भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र) कार्यक्रम यू.ई.ई. प्राप्त करने के लिए जारी प्रयासों को कार्यक्रम समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार और पांच यू.एन. एजेन्सियों-यू.एन.डी.पी., यूनीसेफ, यूनेस्को, आई एलओ और यू.एन.एफपी.ए - का एक सहयोगी कार्यक्रम है। जनशाला जो एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है, का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारिता को बढ़ाना, अध्यापकों के निष्पादन को बढ़ाना और उन सामाजिक बाध्यताओं का पता लगाना है जो सीमान्त समूहों में बच्चों, विशेषकर लड़कियों, अ.जा./अ.जनजाति और बच्चों के निष्पादन और उपस्थिति को प्रभावित करती है।

16. **कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय** : कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय (के.जी.एस.वी) वित्त मंत्री द्वारा अपने 1997-98 के बजट भाषण में महिला निम्न साक्षरता जिलों में अ.जाति, अ.जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यको से संबंध रखने वाली बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालय खोलने के लिए की गई घोषणा का परिणाम है। योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में आरंभ की गई थी और यह योजना के लिए नोडल एजेन्सी है।

केजीएसवी अ.जा., अ.ज.जाति और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के निम्न साक्षरता वाले जिलों में बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोलने में सक्षम होगा। योजना में अ.जा., अ.ज.जाति, अल्प संख्यकों और अन्य पिछड़े समुदायों की बालिकाओं के लिए उपयुक्त स्थानीय विशेष पाठ्यक्रम शामिल होगा। प्रत्येक विद्यालय में लगभग 100 बच्चों का नामांकन होगा। लगभग 500 आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। स्कूलों की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती लागत लगभग 20 लाख रुपए होगी। पांच अध्यापकों, एक रसोइए और अन्य स्टाफ के लिए आवर्ती लागत लगभग 32.01 लाख रु. प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

दसवीं पंच वर्षीय योजना के लिए कुल परियोजना परिव्यय 900.00 करोड़ रुपए है। केजीसीवी विद्यालय एक चरणबद्ध रूप में खोले जाएंगे। वर्ष 2002-2003 के लिए बजट अनुमान 8.50 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

17. **गैर-सरकारी संगठनों को सहायता** : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को और आगे बढ़ाने में एनजीओ की वृहत क्षमता को स्वीकार करता है। अत इसके प्रारंभ से, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने तभी से एनजी के साथ अपनी भागीदारिता को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए हैं, और साक्षरता आन्दोलन में स्वयंसेवी संगठनों को एक सक्रिय प्रोन्नति भूमिका प्रदान की है। योजना के अंतर्गत, 13-35 वर्ष की आयु समूह वाले वयस्क नव साक्षरों को

साक्षरता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन समर्थन के प्रावधान, नवीनता, प्रयोग, मूल्यांकन और प्रभावी अध्ययनों को आयोजित करने, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के लिए एनजीओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अंतर्गत, एनजीओ को फील्ड परियोजनाओं में काम करने के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। नौंवी योजना अवधि के दौरान, राज्य संसाधन केन्द्रों के वित्त पोषण स्तर को बढ़ाया गया है और एस आरसी को दो श्रेणियों क और ख में बांटा गया है। एनजीओ अब सतत शिक्षा कार्यक्रम से सम्बद्ध है।

18. **सतत शिक्षा** : यह योजना देश में कुल साक्षरता और साक्षरता पश्च कार्यक्रमों के प्रयासों को एक शिक्षण निरन्तरता उपलब्ध कराती है। इसका मुख्य दबाव पुस्तकालय, वाचनालय शिक्षा केन्द्र, खेल और सांस्कृतिक केन्द्रों तथा अन्य वैयक्तिक हित के संवर्द्धन कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करने के द्वारा 2000-2500 की जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना द्वारा नव साक्षरों को और अधिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराता है। विभिन्न गतिविधियां जैसे-समता कार्यक्रम, जीवन सुधार कार्यक्रमों की गुणवत्ता, आय सृजक कार्यक्रमों और वैयक्तिक हित संवर्द्धन कार्यक्रमों के लिए भी अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

19. **साक्षरता प्रचार और प्रचालन जीर्णोद्धार** - सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (टीएलसी) निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की एक मुख्य कार्य नीति रही है। टीएलसी की कुछ सुस्पष्ट विशेषताएं हैं - क्षेत्र विशिष्ट समयबद्ध, भागीदारी, संकल्पवाद के माध्यम से शिक्षा प्रसार लागत प्रभावी और परिणाम उन्मुखी।

टीएलसी के निष्कर्ष पर, साक्षरता प्रवीणता के समेकन और प्रवीणता विकास कार्यक्रमों के एकीकरण के उद्देश्य से पश्च-साक्षरता कार्यक्रम (पीएलपी) अपनाया गया है। यह जिले में सतत शिक्षा कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए एक प्रारंभिक अवस्था भी है।

वित्त पोषण पैटर्न सामान्य और आदिवासी जिलों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 2 :1 और 4 :1 के अनुपात में है। टीएलसी और पीएलपी के लिए प्रति प्रशिक्षु लागत क्रमश: 90-180 रुपए और 90-130 रुपए है। नई विचार धारा सततता, कार्यकुशलता और अभिमुखता प्राप्त करने के लिए टीएलसी और पीएलपी के बीच एक निर्बाध लेन-देन को सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत साक्षरता के साथ साक्षरता-पश्च गतिविधियों के एकीकरण की परिकल्पना करती है।

20. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय** : प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा और पूर्ण साक्षरता अभियान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी।

21. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए)** - राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएनएमए) की स्थापना 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा विभाग के एक स्वायत्त और स्वतंत्र स्कंध (विंग) के रूप में की गई थी। एनएलएमए की एक परिषद है और एक कार्यकारी समिति, जो इसके कार्यों को भी देखती है, की भी स्थापना की गई है। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए सभी परियोजना प्रस्तावों के निपटान के लिए एक परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) भी स्थापित की गई है। विभाग के प्रौढ़ ब्यूरो द्वारा एनएलएमए के लिए सचिवालय से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत परिव्यय एनएलएमए के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के अधिकारियों को विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते /मंहगाई भत्ते, कार्यशालाओं के गठन से संबंधित कार्यालय व्ययों को वहन करने के लिए है।

22. **जन शिक्षण संस्थान** - योजना का उद्देश्य इसके लाभानुभोगियों की व्यावसायिक प्रवीणताओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के द्वारा बहुसंयोजक बहुपक्षीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। यह सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से अलाभकारी शहरी/ग्रामीण जनसंख्या के जैसे नव साक्षर, अर्ध साक्षर, अ.जा., अ.ज.जातियों की महिलाओं और बालिकाओं, गंदी बस्ती में रहने वालों, प्रवासी श्रमिकों आदि पर ध्यान केन्द्रित करता है।

23–25. **अन्य कार्यक्रम** : इनमें राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं।

26. इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।